राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.1(4)वित्त/नियम/2021 जयपुर, दिनांक : 12.10.2024

आदेश

विषयः—दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त परन्तु दिनांक 31—3—2022 तक सेवानिवृत कार्मिकों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा दिए जाने के संबंध में।

संदर्भः समसंख्यक आदेश दिनांक 14—9—2023

वित्त विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 14—9—2023 के बिन्दु संख्या 2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

2. सेवानिवृत कार्मिक जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है एवं उनकी सेवा पेंशन योग्य नहीं है, इस श्रेणी के कार्मिकों को आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के क्रम में उनके द्वारा बोर्ड/निगम के पेंशनरो की भांति अंतिम कार्यालय से प्रमाणीकरण के उपरान्त अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक की अंतिम कार्यालय से अंतिम रूप से जारी LPC के आधार पर प्रमाणीकरण माना जाकर निर्धारित अंशदान रुपये 10,500/— की 10 वर्ष की राशि रुपये 1.05 लाख एकमुश्त जमा कराये जाने पर बोर्ड/ निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों की भांति 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार IPD तथा 30 हजार रुपये तक की सीमा में OPS तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में यथा आवश्यकता OPD की सीमा में प्रावधानानुसार निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।

12/10/24
(देबाशीष पृष्टि)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
4. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टैट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी / परियोजना निदेशक, आरजीएचएस
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान,
12. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. प्रशासनिक सुधार विभाग(ग्रुप—6)
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
16. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

12/X/24
(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 26 /2024)